

72

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/11127

लखनऊ: दिनांक: 23-12-2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

याचिका संख्या (सिविल) 888/2022 एवं 847/2022 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-10-2022 के अनुपालन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23-12-2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु पी०सी०आई० द्वारा नई डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं, को प्रदत्त अनुमोदन के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उममें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम:- 2189, करामत कॉलेज ऑफ फार्मेसी, निशातगंज, लखनऊ।			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- ✓ संस्था पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

Ahan


- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू0गडज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, गाज-गजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिपद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजा पी0सी0आई0/परिपद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


 (एफ0आर0 खान)
 सचिव।

पू0सं0- प्राशिप/परिपद सम्बद्धता/2022/11128-11211

तदिनांक: 23-12-2022

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, करामत कॉलेज ऑफ फार्मैसी, निशातगंज, लखनऊ


 (एफ0आर0 खान)
 सचिव।

Decisions of 384 EC (5.12.2022) under item No.9

S. No.	State	Institution Name /ID/ Course	Examining Authority	384EC Decisions (5.12.2022)
151.	Uttar Pradesh	KARAMAT COLLEGE OF PHARMACY NISHAT GANJ, NISHAT GANJ, nishat ganj, LUCKNOW, 226007 ,UTTAR PRADESH PCI-8181 D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	D.Pharm Grant approval for 2022-2023 academic session for the conduct of 1st year for 60 admissions for D.Pharm course.
152.	Uttar Pradesh	Sardar Patel Smarak College Of Pharmacy NIL, Sikandarpur To Saidapur Road, Village- Larpur, Post- Sikandarpur, Tehsil- Albarpur, District- Ambedkar Nagar, Ambedkar Nagar, 224186 PCI-8195 D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	D.Pharm : Reject It was noted that institution has failed to provide facilities as per statutory provisions of - Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. - Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy. In view of above, it was decided to reject the application for D. Pharm course.
153.	Uttar Pradesh	R B COLLEGE OF PHARMACY 58, NEAR ITI CHAURAHA, 58-K, NEAR ITI CHAURAHA NH-2, ETAWAH, ETAWAH, 206001, UTTAR PRADESH. PCI-8185 D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	D.Pharm : Reject It was noted that institution has failed to provide facilities as per statutory provisions of - Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. - Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy.